



19



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. पी.बी.आर./निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2018/1912

लखन सिंह धाकर, ए.ए.
दिनांक 20/03/18 को
प्रस्तुत। प्रकरण क्र. 680/अपील/2015-16 में
दिनांक 03/04/18 निर्णय।

राजस्व मण्डल, म.प्र.
ग्वालियर

- 1- भंवरलाल पुत्र केशुराम कुमावत
- 2- भगीरथ पुत्र केशुराम कुमावत
- 3- किशनलाल पुत्र केशुराम कुमावत

निवासीगण - ग्राम लसुडावन,
तहसील व जिला मंदसौर, म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

मोहलाल पुत्र केशुकुमावत

निवासी- ईशाकपुर, तहसील-
सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

20/03/18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन
संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्र. 680/अपील/2015-16 में
पारित आदेश दिनांक 13.02.2010 के विरुद्ध निगरानी
प्रस्तुत। :-

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-



प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2018/1912

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/09/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वे अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>   <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	